78/137 10631/06 76,77,79

(4)

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

317283

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अशर्फी

नि.अ. अर्जुन

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रू0 7,37,295/-
बाजारू मूल्य	-	रू0 5,47,250/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प-		रू0 73,800/-

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	बिजनौर
3.	ग्राम	-	हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 262 रकबा 0.146

अशर्फी

नि.अ. अर्जुन

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

317284

हेक्टेअर, खसरा संख्या 263 रकबा 0.224 हे0, खसरा संख्या 265 रकबा 0.426 हे0 कुल रकबा 0.796/2 हेक्टेअर स्थित ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.398 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड़ व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 262 व 263

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 253377

5 DEC 2006
A.T.O.T.O.
TRY.LKO.

उत्तर	: खसरा नं0-264
दक्षिण	: खसरा नं0-249,250
पूरब	: खसरा नं0-261
पश्चिम	: खसरा नं0-248

चौहद्दी खसरा नं0 265

उत्तर	: खसरा नं0-266,267
दक्षिण	: खसरा नं0-264
पूरब	: खसरा नं0-268
पश्चिम	: खसरा नं0-86

प्रथम पक्ष की संख्या- 1	:	द्वितीय पक्ष की संख्या- 1
विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 253376

5 DEC 2006

1.[redacted] अशर्फी लाल पुत्रगण झब्बा निवासी ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	अर्जुन पुत्र लखपति निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉवा तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख 1[redacted] अशर्फी लाल पुत्रगण झब्बा निवासी ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ कहा गया है एवम् अर्जुन पुत्र लखपति निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0

अशर्फी

नि०अं० अर्जुन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 253375

कोषागार लखनऊ से निर्गत 5 DEC 2006 A.T.O/T.O.

नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के पक्ष में निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 262 रकबा 0.146 हेक्टेअर, खसरा संख्या 263 रकबा 0.224 हे0, खसरा संख्या 265 रकबा 0.426 हे0 कुल रकबा 0.796 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात 0.398 हे0 स्थित ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00203 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को

अशर्फी

नि. का. अर्जुन

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

232010

को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्ताराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 099312

सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 7,37,295/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के

अशर्फी

नि. नि. अर्जुन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 099313

अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा

अशर्फी

नि. अं. अर्जुन

500Rs.

कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जायें तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 099376

तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि केता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

अशरफी

नि. नि. अर्जुन

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.398 हेक्टेअर की कुल मालियत 5,47,250/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू0 **73,800/-** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंग मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रू0 5,00,000/- द्वारा चेक संख्या- 139701 दिनांकित 13.12.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रू0 2,37,295/- द्वारा चेक संख्या- 139702 दिनांकित 13.12.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

अशर्फी

नि.अं. अर्जुन

विक्रय पत्र

737,295.00/	**201,000.00**	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती अर्शफी लाल
पुत्र / पत्नी श्री झब्बन
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी खेवली लखनऊ
अस्थायी पता

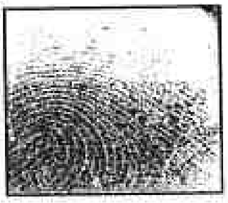

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 13/12/2006 समय 5:59PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
13/12/2006

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती अर्शफी लाल
पुत्र/पत्नी श्री झब्बन
पेशा व्यापार
निवासी खेवली लखनऊ

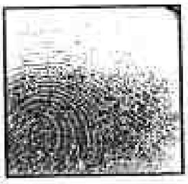

क्रेता
श्री/श्रीमती अर्जुन
पुत्र/पत्नी श्री लखपति कोरी
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री **शुनील कुमार सिन्हा**
पुत्र श्री **जी0सी0 सिन्हा**
पेशा **व्यापार**
निवासी **आर्यानगर लखनउ**

व श्री **सोनू**
पुत्र श्री **बजरंग**
पेशा **व्यापार**
निवासी **हसनपुर खेवली लखनउ**

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
13/12/2006

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 7,37,295/- (रूपया सात लाख सैतीस हजार दो सौ पन्चान्नबे मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोटः- पृष्ठ संख्या 2 के सतर 7 में हेक्टेअर के पहले 0.398 पेन से लिखा हुआ है।

पृष्ठ संख्या 4 के सतर 1 व सतर 7 में अशर्फी के पहले का शब्द पेन से कटा है।

पृष्ठ संख्या 7 के सतर 5 में रू0 के बाद 7,37,295/- पेन से लिखा हुआ है।

लखनऊः

दिनांक : 13.12.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

केता

टाईपकर्ता

(संजय कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(वेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 10631 Year : 2006 Book No. 1

0101 अर्शफी लाल

झब्बन

खेवली लखनऊ

व्यापार

ग्राम हसनपुर खेवली। परगना बिजनौर हवेली

खसरा सं 262, 263, 265

जिला-लखनऊ

रकबा 0.796 हे० का 1/2=0.398

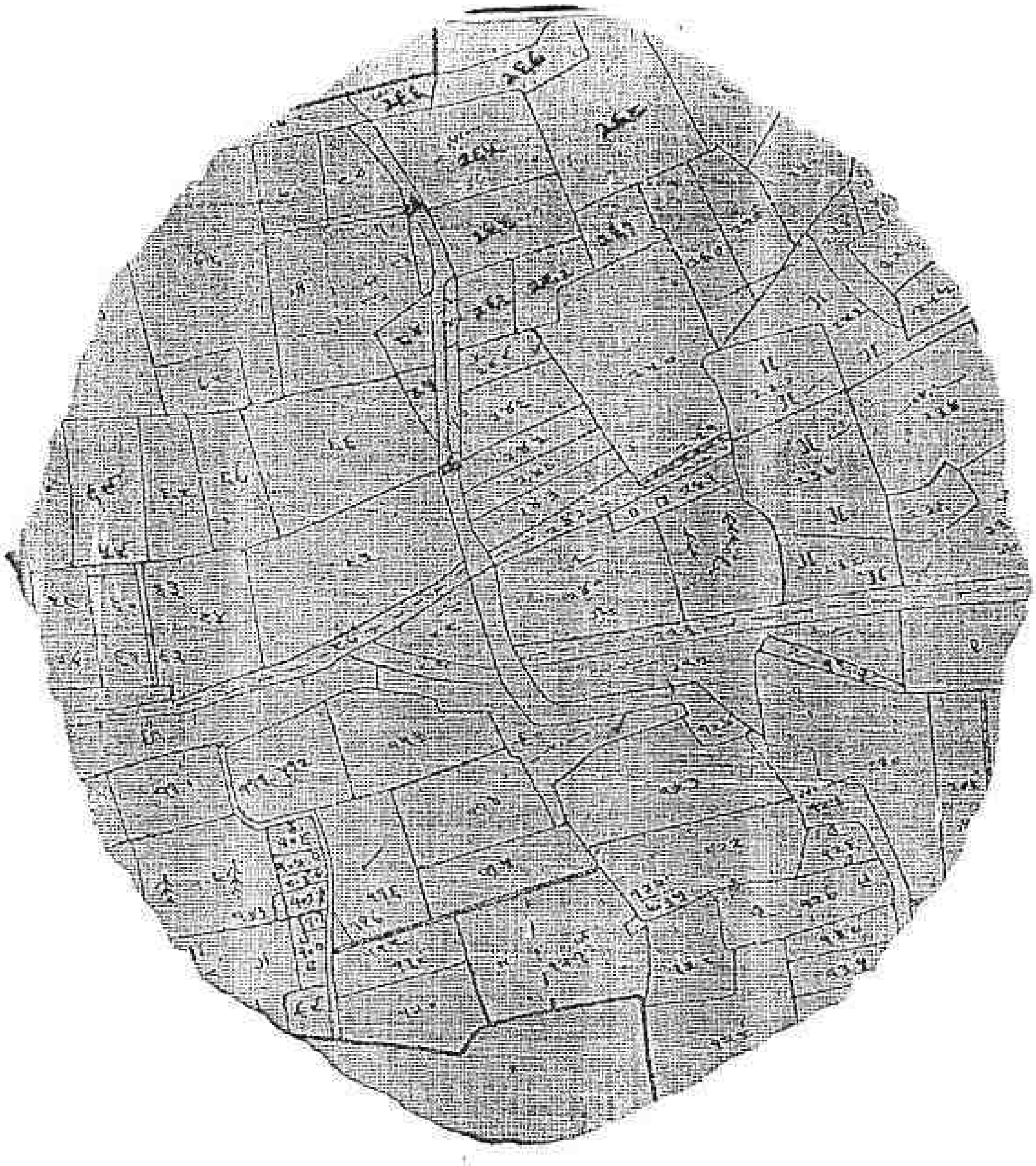

अशर्फी
(विक्रेता)
प्रथम पक्ष

नि. का. अर्जुन
द्वितीय पक्ष

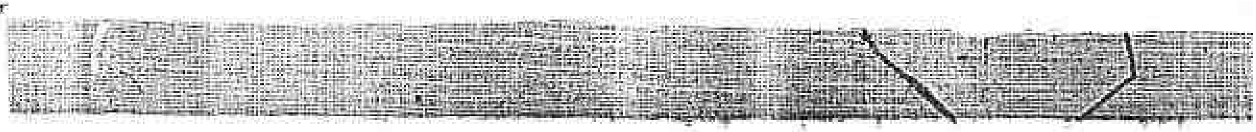

क्रेता

Registration No. 10631 Year : 2006 Book No. 1

0201 अर्जुन

लखपति कोरी

मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- ....

....

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

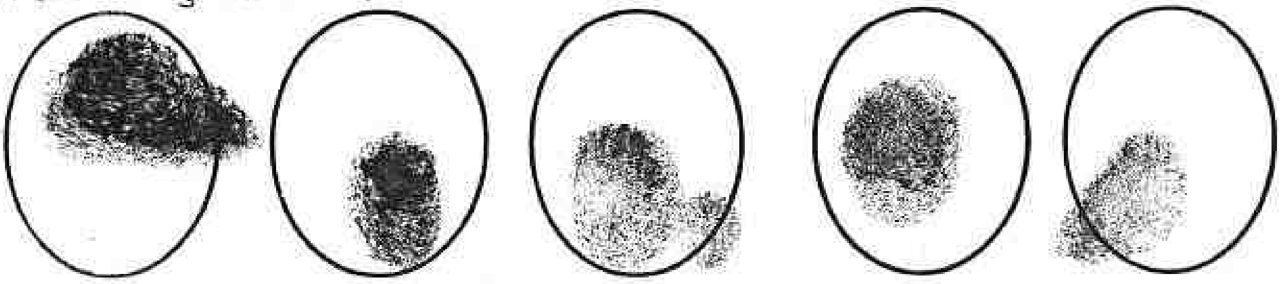

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

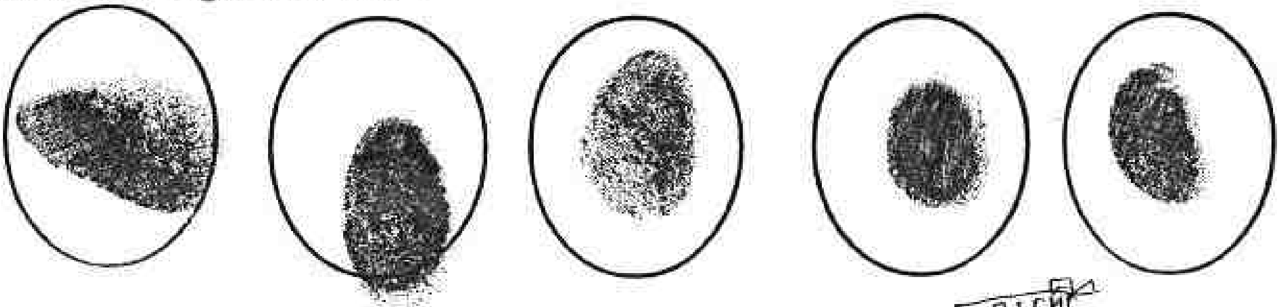

अशर्फी

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- ....

....

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

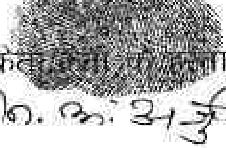

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नि. अ. अर्जुन

आज दिनांक **13/12/2006** को

वही सं **1** जिल्द सं **7982**

पृष्ठ सं. **151** से **178** पर कमांक **10631**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/12/2006